राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्रम संख्या	अपील संख्या	अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	244 / 2011	भूरदान	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जल संसाधन, शासन सचिवालय जयपुर। 2. मुख्य अभियन्ता, आईजीएनपी, बीकानेर। 3. मुख्य अभियन्ता, आईजीएनपी, जैसलमेर।
2.	245 / 2011	हेमराज	
3.	246 / 2011	नाथूराम	
4.	289 / 2011	बालाराम	
5.	290 / 2011	भंवरलाल	
6.	291 / 2011	शंकर सिंह	
7.	292 / 2011	रणवीर सिंह	
8.	293 / 2011	मैथ्यू सामुअल	
9.	294 / 2011	कुम्भाराम	
10.	295 / 2011	प्रहलाद सिंह	
11.	296 / 2011	शिवदयाल	
12.	297 / 2011	अभय सिंह	
13.	298 / 2011	चन्दूराम	

आदेश की दिनांक : 18.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थीगण की ओर से : श्री के के व्यास, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेन्द्र दाधिच, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान तथ्य हैं एवं समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 244 / 2011 भूरदान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. अपीलार्थी की मुख्य रूप से यह आपत्ति रही है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति योगेश कुमार राठी एवं मोहन सिंह खींची को पदोन्नति एवं उच्च वेतन–श्रृंखला प्रदान की गई है। ऐसे में अपीलार्थी को भी पदोन्नति एवं उच्च वेतन–श्रृंखला प्रदान की जाये। संक्षेप में उक्त अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 01.12.1979 को मेट के पद पर वर्क सुपरवाईजर कर्मचारी के रूप में हुई थी। अपीलार्थी की पदोन्नति वर्क सुपरवाईजर ग्रेड–प्रथम के रूप में दिनांक 22.04.1985 को हुई। वर्क सुपरवाईजर ग्रेड–प्रथम की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.01.1992 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 95 पर अंकित था। इस सूची में योगेश कुमार राठी का नाम क्रम संख्या 206 पर था, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ थे। इसी सूची मे मोहन सिंह खींची का नाम क्रम संख्या 77 पर है, जो योगेश कुमार राठी से वरिष्ठ थे। योगेश कुमार राठी को पदोन्नति एवं

उच्च वेतन–श्रृंखला प्रदान की गई है, जिस पर मोहन सिंह ने लेबर कोर्ट में विवाद प्रस्तुत किया। लेबर कोर्ट द्वारा अवार्ड दिनांक 17.06.1998 में पारित आदेश में माना कि श्रमिक मोहन सिंह खींची के वरिष्ठ होते हुए भी सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नति नहीं दी और उच्च वेतन–श्रृंखला का भुगतान नहीं किया गया, जो उचित एंव वैध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत लेबर कोर्ट के अवार्ड के विरूद्ध रिट याचिका 3559/2000 प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.04.2001 को खारिज किया। पूर्व में अपीलार्थी एवं अन्य व्यक्तियों ने पृथक से औद्योगिक विवाद का reference प्रस्तुत किया, जिसमें ओद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जोधपुर द्वारा 18.12.2008 को निर्णित किया गया, जिसमें reference का जवाब निम्न प्रकार से दिया गया हैः–

> *प्रार्थीगण द्वारा श्री योगेश कुमार राठी की पदोन्नति तिथि 01.08.1985 से सुपर वाईजर के पद पर पदोन्नत करने की मांग उचित व वैध है। अप्रार्थीगण दिनांक 01.08.1985 की प्रार्थीगण के वरिष्ठता के क्रम को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण को भी जिस पद पर व जिस वेतन श्रृंखला में योगेश कुमार राठी को पदोन्नत किया गया है उस पर पदोन्नत किए जाने हेतु नियमानुसार पदों की उपलब्धता, प्रार्थीगण का अनुभव व योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए विचार किए जाने का अधिकारी होंगे व उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में प्रार्थीगण को पदोन्नत किया जाकर Consequential benefits दिए जाऐंगे।*

3. इसके उपरांत कार्यालय मुख्य अभियंता ने आदेश दिनांक 25.01.2000 के द्वारा अपीलार्थी (भूरदान) के संबंध में माननीय औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 18.12.2008 के परिप्रेक्ष्य में सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया। जिस आदेश को इस अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता धारित करता है, फिर भी अपीलार्थी को गलत रूप से पदोन्नति से वंचित रखा गया है। जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति योगेश कुमार राठी को पदोन्नति प्रदान की गई है।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी वर्क सुपरवाइजर ग्रेड–।। के पद पर कार्य कर रहा है, जिसे उक्त पद का पे–स्केल व अन्य लाभ प्रदान किये गये हैं। योगेश कुमार राठी के पास टेक्नीकल योग्यता थी। इसलिए उन्हें सुपरवाईजर पद पर नियुक्ति दी गई है, जो पदोन्नति की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलार्थी के पास टेक्निकल की योग्यता नहीं है। यह भी अंकित किया गया है कि मोहन सिंह खींची को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लाभ दिया गया है, परंतु उनके पास टेक्निकल की योग्यता नहीं थी। मोहन सिंह खींची के केस को स्पेशल केस मानते हुए आदेश दिये गये थे जो precedent के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह भी अंकित किया गया है कि लेबर कोर्ट के अवार्ड दिनांक 18.12.2008 में यह माना है कि पदोन्नति दिये

जाने के लिए नियमानुसार पदों की उपलब्धता प्रत्यर्थीगण का अनुभव व योग्यता को ध्यान में रखा जावे। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी के संबंध में विचार किया और उसे लाभ दिये जाने के लिए योग्य नहीं माना।

5. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये अभिकथनों पर विचार किया गया।

6. पूर्व में योगेश कुमार राठी एवं मोहन सिंह खींची को लाभ दिये जाने पर अपीलार्थी द्वारा औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जोधपुर में अपना विवाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें अवार्ड दिनांक 18.12.2008 में यह माना कि प्रार्थीगण योगेश कुमार राठी की पदोन्नति के तथ्यों से सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति की मांग करना उचित एवं वैध है। यह भी निर्धारित किया गया कि प्रार्थीगण दिनांक 01.08.1985 की प्रार्थीगण की वरियता के क्रम को देखते हुए प्रार्थीगण को भी योगेश कुमार राठी के समान पदोन्नति किये जाने वाले पद हेतु नियमानुसार पदों की उपलब्धता, प्रत्यर्थीगण का अनुभव एवं योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए Consider पाये जाने पर योग्य होगा एवं उपयुक्त पाये जाने पर उसे पदोन्नति दी जाकर पारिणामिक लाभ दिये जाये। इस प्रकार अपीलार्थी को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति हेतु Consider किये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें पदों की उपलब्धता एवं प्रत्यर्थीगण का अनुभव एवं योग्यता को ध्यान में रखा जाना था। औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय जोधपुर के अवार्ड दिनांक 18.12.2008 के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति हेतु विचार में रखा गया। रिक्त पदों की उपलब्धता के संबंध में यह माना गया कि 01.08.1985 को नियमानुसार सुपरवाइजर का पद उपलब्ध नहीं था। अपीलार्थी की योग्यता एवं अनुभव के संबंध में यह माना गया कि अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है और वर्क सुपरवाइजर ग्रेड–। के पद पर कार्यरत है। जबकि सुपरवाइजर के पद पर मेकेनिकल ग्रेड–।। एवं इलेक्ट्रीशियन ग्रेड–।। के पद पर 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। ऐसे में अपीलार्थी को योग्यता एवं अनुभव के आधार पर भी सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति हेतु योग्य नहीं माना। परिणामस्वरूप अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार किये जाने के पश्चात अपीलार्थी को उपयुक्त नहीं पाये जाने पर अपीलार्थी को उक्त पद के लिए योग्य नहीं माना गया। नियमानुसार सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति हेतु मेकेनिकल ग्रेड–।। एवं इलेक्ट्रीशियन ग्रेड–।। के पद पर 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था, परंतु अपीलार्थी ग्रेड–। के पद पर कार्यरत था। इस कारण से अपीलार्थी को योग्य नहीं माने जाने में कोई भूल नहीं की गई हैं। पदों की उपलब्धता नहीं होने के कारण भी अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती है। इस कारण से अपीलार्थी (भूरदान) के

संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति प्रदान किये जाने में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

7. उपरोक्त समस्त अपीलों में भी अपीलार्थी भुरदान के समान ही पदोन्नति हेतु अपीलार्थीगण को उपयुक्त नहीं माना गया है, जिसमें हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

8. अतः उपरोक्त समस्त अपीलों में कोई बल नहीं होने से अपीलें खारिज की जाती है।

9. मूल आदेश अपील संख्या 244/2010 में एवं इसकी छायाप्रति अन्य सभी अपीलों में सलंग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)